OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, MANDI FOREST DIVISION, MANDI, HP 175001

No./RK./-

From:-

DCF Mandi

To: CCF (T) Mandi

Subject:-

Diversion of 2.2876 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via baba balak nath Mandi thapla dari ka nal sidhyani road (km 0/00 to 11/340 within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/42526/202019)

dated/02.09.2024.

Memo:

भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ उप-कार्यालय शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के प्रत्र संख्या / शून्य दिनांक / 09.10.2024 के संदर्भ में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिर्पोट प्रयोक्ता अभिकरण व इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा सम्बंधित रिर्पोट आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:-

क्र॰ सं	सैधिनतिक स्वीकृति शर्ते	पालना शर्ते
(A)	वे शर्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि	सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता -
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से सी०ए० स्कीम के अनुसार प्रातिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	की कुल राशि, 1911424/—रू० जमा करवा दी है। जिससे सम्बन्धित चालान की प्रति साथ संल्यन है।
ii	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंर्तगत दिनांक/08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सूनिश्चित करेंगी।	इस आशय से सम्बन्धित वचन बद्धता संलग्न है।
iii.	WP (C) No. 202/1995 IA No.566 में माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2011–FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टर की नैट प्रजैन्ट बैल्यु जमा करवाई जाये।	प्रस्तावित वन भूमि 2.2876 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमानमूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रू० 2299519/— रुपये सृजित ई- चलान के माध्यम से दिनांक/ 25.06.2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है।जिससे सम्बन्धित चालान की प्रतियां साथ संल्यन है।
iv	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेबसाईट www.parivesh.nic.in पर केवन ऑनलाईन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान CA =1911424, NPV-2299519, SMC=175805/- राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दिए गये है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वसूल कर ली गई है। जिससे सम्बन्धित प्रति साथ संलग्न है।
v.	पूर्व अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड करवा दी गयी है ।इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-

Vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिनिशित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीबी, आदि) बेब साईट ऑनलाईन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैक में	की राशि 4386748/- रू० ईचालान स-स्राजत UTR No RB10462534809210 Dated 14.02.2025 के तहत केम्प
300	जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	दिया गया है।
vii	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिशिचत करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव ,जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंम्बित नही है। इस आशय का वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव लंम्बित नहीं है" प्रस्तुत किया जाये। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रस्ताव, जिसके लिए S-पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है 1,
viii	FRA,2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा।	FRA 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के तहत की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
(B)		योक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में हैं, परंतु अंडरटेकिंग के रूप् में अनुपालन स्टेज—II
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौंधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकशान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पाँधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकशान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय को वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.58 है0 वन Block/compartment /Survey No.53E/2NW,Dobha DPF, Village Baggi, Beat Khini, Block Aut, Panarsa Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh पर सीए किया जायेगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथी से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.58 है0 Block/compartment /Survey No.53E/2NW,Dobha DPF, Village Baggi, Beat Khini, Block Aut, Panarsa Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
IV	प्रस्तावित CA land यदि राज्य वन विभाग के नाम है , तो उससे संबंधित दस्तावेज ,अन्यथा, IFA 1927 के अर्न्तगत RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित CA land वन विभाग की जंगल महफूजा महदूदा की श्रेणी में आता है जो कि IFA 1927 के अर्न्तगत आता हैं जिससे सम्बन्धित दस्तावेज साथ संलग्न है।

V	राज्य सरकार वन भूमि को प्रायोक्ता एजेंसी के	। राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FS
A	सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल	के है भीन नॉन पोर्टल में प्रतिपरक वन रोपण के लिए स्वीकर
	में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत	1
	degraded वन क्षेत्र की kml files की अपलोड करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय क
		वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य	
	के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया	अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की
	जायेगा।	पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार , जब	
VII	किसी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस	
	बडी हुई NPV की राशि को जमा करने के	राज वहार जानना ता उस वहा हुर राग र वर्ग सारा वर्ग अमा वर्ग
	लिए प्रयोक्ता ऐजेन्सी बाध्य होगी और राज्य	के लिए प्रयाक्ता एजसा बाध्य होगा और राज्य सरकार बढ़ा हुई राष्ट्रि
	सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	
	7.75	सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
viii	Soil and moisture Conservation Plan	It is submitted that a lump sum amount of 0.5%
	along with detail cost of its implementation into the account of	of the project cost of Rs.175805/- has been
	CAMPA is required to be submitted	deposited in the CAMPA account by the User Agency and e challan of the same is enclosed
	along with stage-I compliance.	herewith. Copy of Soil and moisture
	Howecer, in cases where it is not	Conservation Plan along with detail cost of its
	possible for the State Govt. to submit	implementation into the account of CAMPA is
	the compliance due to delay in	also enclosed herewith.
	preparation of such plan, a lump sum	10 = 17
	amount of 0.5% of the project cost	
	shall be realized form the User	A-1
	Agency and submitted alongwith the stage-I compliance. The deficit	
	stage-I compliance. The deficit amount, as per said plan, if any, form	420
	the money already realized to the tune	
	of 0.5% of project cost shall be	
	deposited in the CAMPA account and	
	same may be intimated to the	
	MoEF&CC for the purpose of	
	obtaining approval under the para-	
	1.22 (i)) of the Van Sanrakshan Evam	
ix	Samvarhan) Adhiniyam, 1980. एवेन्यु वृक्षारोपण सड़क के दोनो ओर व मध्य भाग	
	पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर
	एजेंसी द्वारा किया जायेगा।	जार्जारता विनिद्श के अनुसार त्यामोगकर्ता मारेक
		किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न -
X	स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केद्रीय	स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वर्ज अपि र र
	सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी	पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य
	परिस्तिथि में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	
ri	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की	जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
	ले आऊट प्लान को नहीं जायेगा।	THE PART OF THE PA
		प्लान को नहीं जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र-

di	वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाऐगा	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाव जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
	नहां लगाया जाएगा	
ciii	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने का उपयोग किए जायेगें, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि का उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जाये जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब् करायी जायेगी ।इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन है
ĸiv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन भूमि क्षेत्र के अंदर से कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।	लिए वन क्षेत्र के अंदर काई आतिरक्त या नेपा पुपार का किए इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय व वचनबद्धारा प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थ्ल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईधन उपलबध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ व अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते व क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सव
	किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाब से बचाया जा सके।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है। इस आशय व वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xvi	प्रयोक्ता ऐजेन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैया की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्रार्ण समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायत करेगी।
xvii	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जायेगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। 4इसम् प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय क वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xviii	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जायेंगें।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है तथा इस आशय क वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xix	प्रयोक्ता एंजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्लू / एनबीडब्लु / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवरपास उपलब्ध करायगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है तथा इस आशय क वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xx	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एंजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है तथा इस आशय क वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xxi	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अनयत्र मलवा नहीं फैका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाये गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलाव अनयत्र मलवा नही फैका जायेगा। और मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाये गये वृक्षों का पतन नही किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xxii	इस प्रस्वाव को 99 वर्षों के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत डायर्वजन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज् की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह—समाप्ति होगी।	इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत डायर्वजन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज् की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह—समाप्ति होगी।
xxiii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय समय पर लगाई जायेगी। इस आशय को वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
xxiiv	यदि कोई अन्य सम्बधिंत अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य	यदि कोई अन्य सम्बधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि

1	सरकार की जिम्मेवारी होगी।	वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
XXV	अधिनयम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 और वन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 में उलेखित	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनयम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 और वन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 में उलेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संतप्न है।-

Encl:- As above

Deputy Conservator of Forests, Mandi Forest Division, Mandi HP

Date 3 106/2 Mises



Office of <u>DEPUTY CONSERVATOR O</u> SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNA G- mail: <u>dfosuket123@gmail.com</u> Ph.

<u>TS</u> TT. MANDI (H.P.) 175002 07-267228

क्रमांक./FCA./<u>21.56</u> वन विभाग हिमाचल प्रदेश दिनांक./सुकेत./<u>28.</u>

पेषक :

उप-अरण्यपाल

सुकेत वन मंडल

प्रेषित: अरण्यपाल

वन वृत्त मंडी

विषय

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi

& Suket Forest Division (H.P.).

ज्ञापन

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में भारत सरकार उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी / एच पी. /06/37/2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालना का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रo संo	सैधांतिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर/नामंजूर
(A) 2	रे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से	पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है।
i	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशी जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधरोपण हेतू धनराशी जमा करा दी गई है। वचन- बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
ii	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
III	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्य 22,99,519/- राशि (UTR RBI0462534809210) के माध्यम से दिनांक 14/02/2025 को जमा करा दी गयी है। वचन वधता की प्रति साथ संलग्न है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपाट e-portal	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुक्क (सीए लागत, ऐनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175 G- mail: dfosuket123@gmail.com Ph. No. 01907-267228

	के जन मध्या में जा। की गर	
	जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप मे	
	र्रीक्स नहीं किया जाएगा	
	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्वित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस	with property
vii	आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
	इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	
viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
(B) कड़ा	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता ई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरत	एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड
से प	१९८१ प्रस्तुत ।कथा जाना हः –	17 TA: 18 B B 12 T. B SECULE TO SEE B 1981 1984 1994
i	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
II Linus	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
III	4.58 हैंo वन भूमि Block/compartment/Survey No- 53E/2/NW, Dobha DPF, Village Baggi, Beat Khini, Block Aut, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture	वन मंडल मंडी से सम्बंधित है।
iv	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तर कि	वन मंडल मंडी से सम्बंधित है।
v	सीपने से न भूमि को प्रयोक्ता महेन	A STATE OF THE STA
vi	क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन मंडल मंडी से सम्बंधित है।
	क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी। वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शीये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया माननीय उच्चतम न्यायालय के कर्	वन मंडल मंडी से सम्बंधित है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
vi vii	क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी। वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शीय गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी एजेंसी बाध्य होगी औ जमा करने के लिए होगी होगी होगी होगी होगी होगी होगी होगी	The state of the s



Office of <u>DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS</u> SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002 G- mail: <u>dfosuket123@gmail.com</u> Ph. No. 01907-267228

doto		
· cretz	ail cost of its implementation into the account of	TO BOTS INCREMENT ASSURED
CA	MPA is required to be submitted along with	
Cto	ge-1 compliance. However, in cases where it is	
Sia	possible for the State Govt. to submit the	
not	impliance due to delay in preparation of such Plan,	
cor	mpliance due to delay in preparation of such Plan,	
al	ump sum amount of 0.5% of the project cost shall	
be	realized from the User Agency and submitted	R THANK MAN DEALE IN THE PARTY OF THE
ale	ong with the Stage I compliance. The deficit	the first rough for strong to the second
ar	mount, as per said Plan, if any, from the money	
al	lready realized to the tune of 0.5% of project cost	o Proceedings of the Control of the
el	hall be deposited in the CAMPA account and same	
31	nay be intimated to the MoEF&CC for the purpose	a de fis and the fir Table 1991
1 1	of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the	the at the ten to the ten
10	Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam,	a mark of the two 195 1 May
		Notice forces are strong than the said of the
	1980.	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
1	एवेन्यू वृक्षारोपण, सङ्कु के दोनों ओर व मध्य भाग	मजूर,वचन-बद्धता का काना साम सराम है।
x	पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.
25	एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।	a serie of the first of the series
	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
	सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
x	न्या के कि का निर्मात के विकास कारित	
	पारस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति	THE SECTION PROPERTY OF THE SECTION
	विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है ।
110	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव का ल	मजूर,वचन-बद्धता का कामा साम सराम ए
xi	आउट लान को बटला नहीं जायेगा ।	at cont mind with the l
	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है ।
xii	जाणा जाणा	40/c,441-48(11-41-11-11
	लगाया जाएगा । प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण प्रयोक्ता	Control of the Contro
	प्रयाक्ता एजसा द्वारा वाछित मूर्न राखन असमा	• — — जन्म की कांगी माथ मेलय है।
	2.0 C	मजर वचन-बद्धता का कामा तान रात्र है
xiii.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन साथ उपलब्ध	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiii.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्री पर धन साथ उपलब्ध	5670 0000
xiii.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्श पर धन साथ उपलब्ध करायी जायेगी।	الأست عن الأست
	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्री पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई	الأست عن الأست
xiii.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्री पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक से अनुसार उस क्षेत्र	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। पर्योक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र द्वारा तैयार की गयी योजना के संरक्षण तथ	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र के किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिल्लां। लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिलां एजेंसे कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिलां एजेंसे कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस के के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिल्ले गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट वे खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। सरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल परिरक्षण से के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। पंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। पंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस के के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पहिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल परिरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल परिरक्षण के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा जाएंगे।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। पंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। पंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। परें प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल परिरक्षित के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। परें प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल परिरक्षित के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्रावेश सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंत्र	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। परेश परेश परेश परेश के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्स् एकराएगी। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी की सिफारिशों अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंत्र अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल पर्मार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल कराएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। परेश परेश परेश परेश के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्स् एकराएगी। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी की सिफारिशों अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंत्र अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल पर्मार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल कराएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्श पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिरक्षण ये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट वे खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्स एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंत्र ओवरपास उपलब्ध कराएगी। यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावर यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावर पर्यावर पर्वावर पर्वावर पर्वावर परियम 1986, के अनुसार पर्यावर	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है। प् पा मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xiv.	एजेंसी द्वारा वर्तमान दर्रो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया ज सके। परेश परेश परेश परेश के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समह के संरक्षण तथ परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर्मा जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्स् एकराएगी। प्रयोक्ता एजेंसी एजेंसी की सिफारिशों अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंत्र अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल पर्मार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल प्रमार सरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंतराल कराएगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002 G- mail: dfosuket123@gmail.com Ph. No. 01907-267228

14.4	Harry 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए	tenne of testiopal of AGREE I stant (a specificance i-sunte stale uit to) addison out
xii.	नहीं फेंका जीयगा। मरोबा निराम गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा। एस प्रसाव को 99 वर्षों के लिए अनुमित प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत का जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत तारको जाकी अविध प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अविध या परियोजना की अविध, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xxiii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कीयालय द्वारा परा	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है
xxi	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।
xx	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उबंधन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के वन (सरंक्षण	मंजूर,वचन-बद्धता की कॉपी साथ संलग्न है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्त

उप-अञ्च्यपाल सुकेत वन मंडल, सुंदरनगर प्रि

पृष्ठांकन संख्या ./ २/९७७-५८ प्रतिलिपि :-

दिनांक .1 28-5-28

1). अधिशाषी अभियन्ता , हि०प्र० लोक निर्माण विभाग , नेर चौक वन मंडल को उनके कार्यालय पृत्र संख्या PW-NCD-WA-FOREST CASE/2024-1382-85 दिनांक के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेत्

वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्द्वाडा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप-अरण्यपाल सकेत वन मंडल, संतरनगर प्रि

Subject: -

Diversion of 2.2876 ha, of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340. within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ्) पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शतों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेत् प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
	(A) वे शर्ते, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा आवश्यकता है।	वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की
i	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है इस । आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।

Suker Farest Division

Sundarnagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 22-05.2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha, of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ) पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स .शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला. हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ) पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तो की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेत् प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
ii.	दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suket Farest Division

Sundarnagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2021

di Forest Division, Mandi (H.P.)

HP.PWD. Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्य 22,99,519/- राशि (UTR RBI0462534809210) के माध्यम से दिनांक 14/02/2025 को जमा कर दी गयी है। इसमें
	सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दि निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंस प्रस्तावित वन भूमि, 2.2876 हेक्टेयर की नैव वैल्य 22,99,519/- राशि RBI0462534809210) के माध्यम से

Divisional Forest Officer
Suket Ferest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से 43,86,748/- राशि (UTR RBI0462534809210) के माध्यम से दिनांक 14/02/2025 CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer

Suker Farest Division

Sundarnagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

	OC-CAMPA	DETAILS	
0.1	PARTICULARS		
. 1	State/District/Forest Division to	HP/Mandi/Mandi Forest Division	
1,	which the proposal related.	Executive Engineer, Division Nerchowk HPPWD,	District Mandi
-			
2	Name of User Agency, Nature of	HP	
2	proposal		
2	Extent of Forest Area involved	2.2876 ha	
3	Whether original or extension.	Original	
4	If extension of lease, please clarify if		
_	proposal involves additional forest	-	
5	area and if so specify		
		nil dated/29.07.2021	
6	Date of 1st stage clearance	IIII dated/25.0.	
	Extent of CAMPA charges head wise		
7			
	Viz. (a) Compensatory Afforestation	1911424/-	
	(b) Additional CA	0	
	(c) Penal CA	0	
_	(d)Catchment Area Treatment	0 -	
	(e) Wild life Management Plan	0	
-	(f) Additional charges for diversion of		
	Area felling under notified /protected	0 -	
	La contraction of the contractio		
	(g) Net present value	2299519/-	
_		Amount of S&M Plan Rs.175805/-	
	(h)Any other charges levies(Pi. specify) Amount of Season	
	Detail of bank Draft (Bank draft No.		
	8 date and amount) head wise against	5.	
	item indicated in paragraph above.		
	nem marcated in parts.	The amount against CAMPA Rs 4386	5748/-/- sta
	the DTCS of so th	e deposited by the User Agency v	ide UTR N
	Whether deposited by RTGS, of so th	deposited by the User Agency V RBI0462534809210 on dated/14.02.2025	5
	particular and date of remittance.	RBI0462534809210 on dated/17.02.2015	2702 5
		The another amount deposited by the	UA 8782 for
		remittance (Govt. Revenue) in Forest th	e detail is giv
		as under:-	
		Particular	Amount
		1 41 120 4111	
		Departmental charges	334499/-
	to A the su remarks	Cost of trees	NIL
	10 Any other remarks	GST 18% of 358/- on cost of fence post for CA	14757/-
		ICCT 180/of 35X/- on cost of fence post for CA	
	8	USI 18/001 550/ On cost start amplesed he	rewith for rea
	18	Relevant Challan Copies are enclosed he	rewith for rea
	×	Relevant Challan Copies are enclosed he reference.	rewith for rea
		Relevant Challan Copies are enclosed he	rewith for rea

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi H.P Vousine 65 to 66 - 20, 11, 220 1

TREASURY CODE:- MDI 16 DDO CODE :- 667 SDO CODE :- 00			(HPTR-RTG	(HPTR-RTGS/NEFT ADVICE)			
DDO/SDO DESCRIPTION :- EXECUTIVE ENGINEER H.P.PWD., DIVISION NERCHOWK. PRE-ASSIGNED TOKEN No. :- 23102792 DATED :- 20.11.2024 d to following accounts:- Payee Code IFSC Code of Bank Bank Name Account No. Amount in Account No. Amount in Account No. Acco		TREASURY CODE:-	MDI 16	DDO CODE :- 667		SDO CODE :- 00	
Additional accounts:- Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Account No	۵	DDO/SDO DESCRIPTION	:- EXECUTIVE	ENGINEER H.P.PWD., D	VISION NERCH	DWK.	
Additional accounts:- Payee Code IFSC Code of Bank Name Account No. Amount in MP66710396 UBIN0996335 UBIN 150706142526933 MP66710397 RBIS0GSTPMT RBI 24110200025091 Amount in RBI R		PRE-ASSIGNE	D TOKEN No. :-	23102792	DATED :-	20.11.2024	
AMPA Payee Code IFSC Code of Bank Bank Name Account No. Amount in Am		To be directly credited to following accounts:-				Total Amount:-	4401506
achai Pradesh CAMPA MP66710396 UBIN0996335 UBIN 150706142526933 MP66710397 RBIS0GSTPMT RBI 24110200025091 4	Sr. No	Name of Department	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount in (Rs.)
MP66710397 RBIS0GSTPMT RBI 24110200025091 A RBIS0GSTPMT RBI	que	Himachal Pradesh CAMPA	MP66710396	UBIN0996335	UBIN	150706142526933	4386748
-akh One Thousand Five Hundred & Six) Only	N	GST	MP66710397	RBIS0GSTPMT	RBI	24110200025091	14758
(Rupees:- Forty Four Lakh One Thousand Five Hundred & Six) Only							4401506
		(Rupees:- Forty	Four Lakh One	Thousand Five Hundred	1 & Six) Only		

Executive Engineer
Neverowk Division
Fi.P.P.W.B. Ner Chowk

Executive Entireer Nerchent The Ston

Executive Engineer Nerchowk, Division, HP.PWD., Nerchowk.

> UTR No- RB10462534809210 12460 - 14-02-2025.

Executive Engineer
Narchowk Division
HPPWD Nerchowk





NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 20-11-2024

Agency Name.	HPPWD
Application No.	6142526933
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/37/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar ShimlaShimla
Amount(in Rs)	4386748/-

Amount in Words :Forty-Three Lakh Eighty-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA		
IFSC Code:	UBIN0996335		
Pay to Account No.	150706142526933 Valid only for this challan amount.		
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027		

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 20-11-2024

Agency Name.	HPPWD
Application No.	6142526933
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/37/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4386748/-

Amount in Words: Forty-Three Lakh Eighty-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA	
IFSC Code:	UBIN0996335	
Pay to Account No.	150706142526933 Valid only for this challan amount.	
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027	

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print Back

UTR No- RB10462534809210 124ted -14-02-2025

Executive Engineer Norchowk Division HPPWD Nerchowk

VD RECIEI Himochal prodes (AMPH sofpayer FEBSR MPHUR Dated Dated Cash Book Voucher No. has ofor to 11340 Division Nes hour 1984 Division Chalken Paid By Cheque/Cash a sum of Rs 4386748-00 Received a sum of Rs. 4336748 only Rs. From Assistant Engineer BSC Sub Division Charles Name of Work/ Purpose for which payment is maden attempt Comparately floorabilian, NPV, Soil & Maisture Plan 1. Certified that purchase has been made at the lowest market HiR. Vey Hed Act 15. 4386748/ 3. certified that record entry has been signed M 8. No. 123 HIR 4. Bill Verified for RXXX

ignature of Verified Authority

Executive Engineer Nerchewk Division HPPWD Nerchowk

HAND RECIEPT
MY CST Deputy constitute of 1 and Dividion
Dated:
R. C. A. M. As Tillar I letter Solh folk war publi
Cash Biox voucher North To 11/2 to New Straly and send to
DrisioNordout 23102792 (1. Sub Division.
Paid by Gneque / Cash a Sum of Rsl. 4. 75. 7. 56 Only
Political Property For South S
Received a sum of RY 757 / Only Rs only
From Assistant Enginee BSC Sub Division ()
Name of Work/ Purpose for Which Payment is to be hadetic.
J 65 6 181 J 620 120
1. Certified that Purchase has been made at the lowest market rate. 1. Certified that materials and the lowest market rate.
2. Certified that material has been accounted in M. A. S. Register
no Seven Seven
3. Certified that record entry has been done at page 14 Challer Sub-Division
M.B. No 123 Carpey firsteen the used seen harded of
4. Bill verified for Asty 757 000 7 - 4 Start of
manual to the second of the se
Paper Gran Tables
Signature of verified Authority Signature of Payee

Executive Engineer
Herchowk Division
HPPWD Herchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha, of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला. हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ ८ बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति	ा की शर्त		मंजूर /	नामंजूर	
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट (https://parivesh.nic.in/) में जाएगी।	e-portal अपलोड की	(https:	अनुपालन ://parivesh.nic.in/ प्रयोक्ता अभिकरण		

Divisional Forest Officer Sukar Forest Division

Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Constructor of Forests Mandi Forest project, Mandi (H.P.) Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
vi	प्रतिपूरक शुल्क(सिये लागत, एनपीवी, आदि) वेब	

Divisional Forest Officer
Suker Ferest Division
Sundernager (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत " I किया जाएइस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, ऐसा अन्य कोई प्रस्ताव नही है और ना ही S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Ferest Officer
Suket Forest Division
Sundamagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स .शिवालिक खंड. लौंगवुड शिमला. हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयान्तिगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
viii		FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड किया जा चूका है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker! arest Division Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Consequetar of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk

HP.PWD. Nerchowk

Subject: -

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तो की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर		
	B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुम पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -			
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।		

Divisional Forest Officer Suket Forest Division

Sundarnagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स .शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला. हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ ८बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयान्त्गत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों पौधों/ की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गयी संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	

Divisional Forest Officer

Suket Farest Division

Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

HP.PWD. Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.58 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-53E/2/NW, Dobha DPF, Village Baggi, Beat Khini, Block Aut, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Divisional Forest Officer
Suket Ferest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk Subject:-

Diversion of 2.2876 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via baba balak nath Mandi thapla dari ka nal sidhyani road (km 0/00 to 11/340 within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/42526/202019) dated/02.09.2024.

Undertaking

Stipulation No.:- 3

वन विभाग द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.58 है0 Block/compartment /Survey No.53E/2NW,Dobha DPF, Village Baggi, Beat Khini, Block Aut, Panarsa Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Deputy Conservator of Forests, Mandi Forest Division, Mandi HP

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
iv	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	

Divisional Forest Officer
Suker Forest Division

Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk



Subject:-

Diversion of 2.2876 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via baba balak nath Mandi thapla dari ka nal sidhyani road (km 0/00 to 11/340 within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/42526/202019) dated/02.09.2024.

Undertaking

Stipulation No. :- V

वन विभाग वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ईग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक -

वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड कर दिया जाएगा।

Deputy Conservator of Forests, Mandi Forest Division, Mandi HP

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
v v	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।

Divisional Forest Officer
Suker Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र o सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
vii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य

Divisional Forest Officer
Suker Forest Division
Sundarnagar (H.P.) - 175018

Departy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 2 - 05-2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश –171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजुर
viii.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-1 compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	Needfull done

Divisional Forest Officer

Suket flerest Division

Sundernagar (H.P.) - 175018 Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT



Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division H.P.

SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN

EXECUTIVE ENGINEER, NERCHOWK DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department Nerchowk
Ph. 01905-243262, Fax: 243262, E-mail <u>eepwd-nerchowk-hp@gov.in</u>

Prepared by: -

Naresh Kumar GIS Mapping & FCA Consultancy E-mail: - forestclearencehp@gmail.com Contact No.70182-26500 possessor of great miraculous powers, entertained his with great hospitality. He built the great tank before the palace.


"Trilokinath". The entire history of both the states of Mandi and Suket is littered with wars with among themselves and other adjoining states. These two states had always been rivals and generally enemies, but there was no great result of their warfare. The fertile valley of Balh was the common ground of desire and dispute. On 21st February 1846 the chiefs of Mandi and Suket visited Mr. Erskine, Suprintendent of the Hill States for the British Government, owing their allegiance and securing their protection. on 9th march, 1846 a treaty was concluded between the British and Government and the Sikh Durbar whereby the whole of the Doab area between the Beas and the Sutlej was ceded to the British Government, and this included the states of Mandi and Suket also. On 1st November 1921, both the state of Mandi and Suket were transferred from the political control of Punjab Government to that of Government of India till 15th August 1947, India's Independence Day.

The present District of Mandi was formed with the merger of these two princely states Mandi and Suket on 15th April 1948, when the State of Himachal Pradesh came into existence. Ever since the formation of the district, it has not witnessed any changes in its jurisdiction.

The Mandi District is located on the 19 Survey of India Toposheet (1:50,000) as given below in the figure.

Land use pattern and Social aspect of the area:

Executive Engines
Narchowk Bivision
HPPWD Nerchowk



Economy:

General Information

Mandi is one of the fastest developing towns of Himachal Pradesh, located on cross junction of National Highway-20, 21 and 70. It acts as a gateway to Kullu, Lahaul, Leh Ladakh, area of Jammu & Kashmir. Being District headquarters, the entire District depends upon the city for trade & commerce. services and civil administration. The economy of the region is predominately

Executive ingineer Nerchowk Division HPPWD Nerchowk agrarian as around 79% of the total population is dependent on agriculture and activities allied to it, for earning their livelihood.

Climate:

Temperature Varies from 40° C in plains during summer -20° C in the Alpine Zone during winters. (b) Rainfall varies from 152 cms to 178 cms in outer Himalayas. Due to sufficient rainfall, unused land is covered with forests or forms rich grazing land. In the hills the forests are extensive and valuable. Deodhar, blue pine, silver fir, spruce, chil and various kinds of oak are plentiful. Below 4,000 feet the forests are not extensive, the only valuable ones consisting of chil, but there is considerable scrub jungle and the wide areas of grass covered slopes support the herds of cattle. As may be expected from the varied altitude, the climate shows large variations in the different parts of the district. It is pretty hot in the lower portion in the summer and the cold letter in the hills during the winter. And as such in every season, except the rainy season, there is some place in the season where the climate is inviting.

Agriculture:

Balh Valley is known for producing quality wheat, paddy, and vegetable crop where the water drainage system and sprinkle system of irrigation have been adopted. The crops of corn maize, wheat, rice and vegetables are grown in other parts of the district, which cater to the demand of sizeable population. A milk processing plant run by H.P. State Co-Operation-Milk-Federation at Chakkar is 8 kilometers from Mandi. The people of Mandi follow an agrarian economy and cultivate rice, pulses, millets, tea, sesame seed, groundnut, sunflower oil and herbal products. Himachal Pradesh Town and Planning Department works for Mandi Planning area (MPA). More than 9,000 farmers are directly involved in cocoon cultivation for producing Silk in lower hills of Mandi District. Mandi District is also facing tough competition from China, which is marketing raw silk at much lower rates in the market. Many Hectares of land in Mandi is also under Apple production. Apples are generally planted during December every year. The area under fruit in Mandi is about 15 per cent of the total area under fruits in Himachal Pradesh. Mandi raw silk has acquired wide fame but the salt mines at Drang and Guma are the special features of the economy. With abundant deposit of salt and limestone, possibilities are being investigated for the existence of magnesite coal and china-clay. Mandi also has fish markets where brown trout is one of the most demanded fish species. In Mandi, a farmer gets around Rs.300 a kg for Brown Trout.

Table-3:

Sr No.	Category	Area in Sq.kms)	percentage
1	Area under forest, dense and open forest	2030	35.37
2	Culturable waste	268	4053

Executive Engineer Nerchowk Division HPPWD Nerchowk tradition, Padam Sambhav (750-800 AD), the great Buddhist Patriarch, who was summoned by king Tisong-De-Tsen of Tibet for preaching Buddhism, hailed from Zahor, which represents the country round about Rewalsar. On the basis of this it is concluded that Mandi must have been a great place of Buddhist learning about this time.

The chiefs of Mandi and Suket are said to be from a common ancestor of the Chandravanshi line of Rajputs of Sena dynasty of Bengal and they claim their descent from the Pandavas of the Mahabharta. The ancestors of the line believed to have ruled for 1,700 years in Indarprastha(Delhi), until one Khemraj was driven out by his Wazir, Bisarp, who then took over the throne. Khemraj, having lost his knogdom, fled eastward and settled in Bengal. where 13 of his successors are said to have ruled for 350 years. From there they had to flee to Ropar in Punjab, but here also the king, Rup Sen, was killed and one of his sons, Bir Sen, fled to the hills and reached Suket. The State of Suket is said to have been founded by Bir Sen, an ancestor of the Sena Dynasty of Bengal.

The separation of Mandi from suket took place about the year 1200 AD, Upto that time, it was the single state of Suket. The then reigning chief Sahu Sen had a quarrel with his younger brother Bahu Sen, who left Suket to seek his fortunes elsewhere. Bahu Sen after leaving Suket settled at Manglan in Kullu, where his descendants lived for 11 generations. Then then chief, Kranchan Sen was killed fighting against the Kullu Raja and his Rani, who was pregnant at that time, fled alone to her father who was the chief of Seokot, who had no son. Here she gave birth to a baby boy who was named Ban, the tree under which he was born. Ban had hardly crossed the age of 15 when he defeated the chief of Kilti who used to plunder travelers. On the death of the chief of Seokot, Ban succeeded to the chiefship of Seokot. He, after some time killed the Rana of Sakor and took possession of his lands, he then changed his residence to Bhiu, on the banks of Beas and a few miles from the present Mandi town. Mandi emerged a separate state in the beginning of the sixteenth century. Down the line of descendants of Ban came Ajbar Sen. nineteenth in descent from Bahu Sen, who founded Mandi Town in 1527 AD, the capital of the erstwhile state of Mandi and the headquarters of the now Mandi District.

Ajbar Sen was the first great ruler of Mandi. He was probably the first to assume the designation of Raja. He consolidated the territories that he had, inherited and added to them new ones that he wrested from the hands of his neighbors. He built a palace here and adorned it with four towers. He also built the temple of Bhut Nath and his Rani constructed that of Triloki Nath. Down the line of descendants was Raja Sidh Sen, who succeeded Raja Gur Sen in 1678 AD. Mandi had never been so powerful before his reign and after that never was. He captured great areas from the adjoining areas, it was during his reign that Guru Govind Singh, the tenth guru of the sikhs visited Mandi in the close of the 17th century. He had been imprisoned by Raja singh, the chief of Kullu, from whom he had sought assistance against Mughal troops and his followers believe that Guruji escaped by using miraculous powers. Raja Sidh Sen, who is also considered to be a

REPORT ON SOIL CONSERVATION PLAN

1.0 INTRODUCTION: THE STATE: INTRODUCTION:

Himachal Pradesh having world's mightiest mountain ranges is one of the hilly States situated in the Northern part of India. It is blessed with some of the most spectacular and beautiful landscapes. It came into being in November, 1966 after the re-organization of States. Earlier, it was part of the combined State of Panjab. The various hill towns in the State not only provide visitors reprieve from the heat of the planes, but offer beautiful scenic sites which are real treat to the eyes Kullu and Kangra valleys offer natural beauty which is no less than Kashmir Valley. Valleys and streams, snow clad mountains and temperate forests offer tourists and sportsmen all they want. Earlier the economy of the State mostly depended on tourism and a large number of tourist sites had been developed by the State. However, after the re-organization, the State has made big strides in the field of industrialization also, he State has good deposits of minerals like gypsum, lime stone and slate etc. It has big reserve of minerals which can be used in various types of industries. Mining of minor minerals is also, therefore, an extensive Industry in the State. Industries like Cement, Electronics, Fertilizers, Pharmaceuticals and Liquor can be found in good number at different places in the State. Hydel Power in the State has given a big boost tithe Industries. A number of Industrial areas have been developed in the State, where all facilities are provided to the entrepreneurs. Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib and Raja Ka Bagare some of the important industrial areas developed by the State in the last two decades.

MANDI DISTRICT:

Not much is known about the early history prior to the formation of Suket in 765 AD. The area had been under the control of Ranas or Thakurs. The only place that has an early mention in literature is Rewalsar and it is mentioned in the Skanda Purana as a sacred place of pilgrimage. Karnpur, a small village is said to have been founded by Karan, a hero of the Mahabharta. A temple at Gumma points to the locality where the Pandavas sheltered themselves when the attempt to burn them downfield. Beyond this not much of the erstwhile state's existence can be found in classical literature. According to the Tibetan

3	Not available for cultivation, barren and un-culturable land	155	2.70
4	Land put to Non Agricultural uses	752	13.10
5	Permanent pastures	876	15.26
6	Land under miscellaneous tree crops etc.	82	1.42
7	Other Cultivated waste	1576	27.46
8	Total Area	5739	100%

Forest:

The range contains some good forests of chil pine. but the greater part of it consists of rich grass slopes. Its name is attributed to Sikander Lodhi, who, 375 years before the reign of Akbar, is supposed to have crossed it on his way to the conquest of Kangra. The range of altitudes in the district is high, with the highest point being around 13,000 feet on the Kullu border and the lowest point 1,800 feet near Sandhol where the Beas leaves the district. The only area which is similar to the plains is the Balh valley. Several of the valleys are open and are often irrigable from kuhls, or small water channels, and contain some of the most fertile land in the state. Due to the hilly terrain, some of the hills are so precipitous that cultivation in large scale is impossible. Due to sufficient rainfall, unused land is covered with forests or forms rich grazing land. In the hills the forests are extensive and valuable. Deodhar, blue pine, silver fir, spruce, chil and various kinds of oak are plentiful. Below 4,000 feet the forests are not extensive, forest cover area is about 178591 Hects.

GEOGRAPHY OF THE DISTRICT

- a. Location: The district is situated between 31-13-50 and 32-04-30 north latitude and 76-37-20 and 77-23-15 east longitude. It is bounded by Kangra on the northwest, Hamirpur & Bilaspur in the west, Arki tehsil of Solan district in the south, Shimla district in the south-west and Kullu district in the east.
- b. Rivers: The district has 2 main rivers viz. the Beas and the Satluj. The river Beas enters the district from close to Bajaura, at the boundary of Kullu and leaves the district at Sandhol. The Mandi town is also located on the banks of this river. For the greater part of its length, it runs between high banks and as it is of never great breadth, the current is swift, especially during the rains. Practically the whole of the district drains into the Beas with only the south-east corner situated on the Satluj watershed. Within the district the principal tributaries of the Beas on the north bank are Uhl, Luni, Rana and Binu and on the south bank are the Hanse, Tirthan, Bakhli, Jiuni, Suketi, Ranodi, Son and Bakar.

LOCATION:

Mandi district covers an area of 3950 sq kms and lies in the middle portion of H.P and is bounded in the north by district Kangra, Kullu in the West in the south are the districts of Shimla & Solan, Bilaspur in the south West and Hamirpur in the North West.

Major part of the district lies in the lesser Himalayan region, which presents the rugged mountainous terrain. The mountains are composed of crystalline, metamorphic unfosiliferrous sedimentary rocks of oldest system. Mountains are developed in different stag Initially a Geosyncline was formed which was gradually filled up with sediments, after this Geosynclinals deposits were subjected to folding and thrusting etc. Finally, the Geosynclinals sediments were pushed up gradually to form the mountains. In Mandi district between the steeply rising mountains are the valleys. Balh, partly Kullu valley lies between he steeply m mountains which remain mostly under snow for most part of the year. The valleys are the of age long erosion along the medial part of elevated tracts. These valleys are known as erosional valleys which have resulted because of glacial and stream erosion. Sutlej, Beas, Uhl and Suketi are the main rivers in the district.

FLORA AND FAUNA

a. Flora

The Chills considered the prevailing conifer up to about 1950 meter when it gives place to the Deodar and the blue pines. In Mandi district the forest range between scrub, sal and bamboo forest of the low hills to the fur and alpine forests of the higher elevation. Lowest point of the southern boundary of the district is 427 meter above sea level and highest range of is at an elevation of 2658 meters in the north. The forests grown between these two extremes vary as the elevation itself, the area under consideration following area the most common trees

The most prominent varieties of trees found in the district are: Simbal (Bombex malabaricum) Mango (Magniferaindica) Tun (Cedrela toana) Several species of acacia and albizia Salambra (Odina wodier) Termnaila (Engenia jambolana Bamboo The common fruit trees are banana, apple, ber, jamun, mango, mulberry, almond, peach etc Shrubs The topography, climate and nature of soil is mainly responsible for the growth of various types of trees and shrubs, which are important for making the environment of the area most suitable for the survival of living beings. The trees and shrubs grows according to the heights in higher elevations the following trees are mostly seen to grow.

Local Name

Botanical Name

1. Bhujpatar

Betula Utilis

2. Kharsu

Quetcus Semecarpifolia

3. Ban

Quercus hicana

4. Brah

Rhododfendron Arborcum

Nerchawk Division HPPWD Nerchowk 5. Tos

Abies Pindron

6. Dyar

Cedrus Deodara

7. Safeda

Eucalyptus Citriodorn

8. Pipal

Ficus Religiosa

9. Behul

Grewia Oppositifolia


10. Chil

Pirths Rox-Burghii Ber and other bushes

The most common shrub at the higher elevation is Barberis, indigopera and esmodium and following other shrubs are also found.

- 1. Vitex
- 2. Munj
- 3. Ber
- 4. Ipomea
- 5. Dodonea &
- 6. Bamboo.

The common fruit trees are banana, apple, ber, jamun, mango, pear, mulberry, apple, almond, cherry, peach etc.



Project Description at Glance

a. DESCRIPTION OF THE PROJECT ROAD:

Diversion of 2.2876 Ha. Forest land for The proposed road will connect Tanda, Balt, Kareri, Kawalkot, Kothi, Sidhyani villages /habitation and it will serve approx. 3737 populations. It will connect left out area, which is deprived with road facility. The road is urgently required as people of these villages are facing great hardships to reach the nearby town Nerchowk. After construction of this road they will connect directly with Medical College Hospital Nerchowk, Market center Ratti and Nerchowk. At present mule transport is only mode available for transporting the goods etc, the area is quit rich in the production of cash crops and agriculture production such as Maize potato rice & seasonal vegetable etc. The land is very fertile. But heavy cost of transportation for export of surplus production and different marketing position restrain people from taking farming in a whole hearted way as such their living standard is also poor.

The construction of this Road shall increase the economy of the area with the sufficient cheap and quick transportation of possible agriculture produce easy and extended marketing facilities more over availability of emergency medical help will also improve. With increased economic activity the overall living standard of the people shall also improve quickly. The proposed alignment for the said road has been carefully finalized after considering a total No. of three alternate alignments in all the cases a portion of the road shall pass through the forest area. The construction of the road involves negligible tree cutting and as such the loss of forest produce involved in it is very meagre in comparison to the benefits of the road. The proposed alignment does not form any part of national park, wild life sanctuary, Biosphere reserve, tiger reserve etc. The alignment is so located that is involves minimum forest land, minimum cutting is involved and maximum benefit to be beneficiaries due to this road. Due to construction of this road, there will be no erosion to be remaining soil / forest land.

L	Total Length	11.340
2	Location	Tehsil Balh District Mandi
3	Terrain	Hilly
1	Name of the Protected Area within 10 km of protected zone(Buffer Zone)	Nil

The area is covered in the Survey of India Topo Sheet No. 53A14 (R.F. 1:50,000) and is bounded by the co-ordinates shown in table below.

Nerchawk Division HPPWD Nerchawk

Site Coordinates

Latitude	Longitude
31° 34' 55.437" N	76° 53' 23.036" E
31° 34′ 58.643″ N	76° 53' 20.850" E
31° 34′ 57.673″ N	76° 53′ 10.092″ E
31° 35′ 0.685″ N	76° 53′ 3.409″ E
31" 35' 12.588" N	76° 52' 56.845" E
31° 35′ 1.254″ N	76° 51′ 17.904″ E
31° 35' 30.581" N	76° 50' 50.840" E
	31° 34' 55.437" N 31° 34' 58.643" N 31° 34' 57.673" N 31° 35' 0.685" N 31" 35' 12.588" N 31° 35' 1.254" N


Project Location (District Mandi Patch)

Sr.No	Aspect	Description	
1.	Project	Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division H.P.	
2.	Location	53A/14	
(i)	State	Himachal Pradesh	
(ii)	District	MANDI	
(iii)	Tehsil	Balh	
(iv)	Villages	Tanda, Balt, Kareri, Kawalkot, kothi, Sidhyani.	
3.	Nearest Location	31.607904°, 76.912852°	
(i)	Nearest Town	Ner Chowk, Ratti, Galma	
(ii)	District Headquarters	Mandi	

1.1 General

Diversion of 2.2876 Ha. Forest land for The proposed road will connect Tanda, Balt, Kareri, Kawalkot, Kothi, Sidhyani villages /habitation and it will serve approx. 3737 populations. It will connect left out area, which is deprived with road facility. The road is urgently required as people of these villages are facing great hardships to reach the nearby town Ner Chowk. After construction of this road they will connect directly with Medical College Hospital Nerchowk, Market center Ratti and Nerchowk. All three roads maintained above are connecting different area and the left out villages are to be connected by the proposed road. The Public Works Department Nerchowk division has been accorded Stage-I approval under FCA 1980.Now for Final Approval Soil Conservation Plan (SMC) is to be submitted. The proposed Road passes through Two Ranges (Mandi & Baldwara) of Forest Divisions Mandi & Suket. The location map of road passing through area of Mandi & Suket Division, Range Mandi & Baldwara is given in Figure 1.1.

FIGURE 1.1 LOCATION MAP



Nerchowk Division
HPPWD Nerchowk

2.0 CLIMATE & RAINFALL

The climate of the district varies from semi-tropical to semi-arctic. Winter varies from December to February and summer extends from March to June while July to September is rainy months. The maximum rainfall in the district occurs between July to September. The rainfall in the district during 2012 was 1106 mm. Snowfall is received in the higher reaches. The minimum and maximum temperature at Saloni in 2011 was 1.1°C and 32.9°C in January and May respectively.

3.0 GEOMORPHOLOGY & SOIL TYPES

Mandi district presents an intricate mosaic of mountain ranges, hills and valleys. It is primarily a hilly district with altitudes ranging from 550 m near Sandhol where the Beas river leaves the district, to about 3960 m amal near Kullu border. There is a general increase in elevation from west to east and from south to north. Master slope is southwesterly. The south western part consists of Siwalik ranges having scarped slopes. There are few small intermountain valleys; prominent among them is the Balh valley, located in the lesser Himalayan ranges, having an average altitude of about 790 m amsl and have a general slope towards NNE. The valley floor is undulating and is marked by low hillocks and terraces fringing the hills and intervening low alluvial plain. The Beas and Satluj rivers form the major drainage system in the district. The river Beas and its tributaries, drain about 70% of the district area in the northern part, whereas the area in the south is drained by the river Satluj. Suketi khad and its tributaries, chiefly drain Balh valley. The Suketi khad maintains a perennial flow, because of effluent seepage from groundwater. There are three important lakes in the district, namely Rewalsar, Prasher and Kamrunag. Two types of soils are mainly observed in the district viz. Sub-Mountainous Soil occurring in Seraj and Karsog blocks and Mountainous Soil occurring in remaining eight blocks of the district.

The sub-mountainous soil is high in organic carbon, low in available phosphorous and medium in potash, whereas the mountainous soil is brown in colour, medium in available nitrogen & potash and deficient in available phosphorous. The soil reaction is slightly acidic to neutral and texture in general varies from loam to sandy loam, except in low valley areas being heavy Textured.

4.0 GROUND WATER SCENARIO

4.1 Hydrogeology

The rock formations occupying the district range from pre-Cambrian to Quaternary period. The generalized geological succession in the district is given below.


Age	Formation	Lithology
Quaternary	Alluvium; Terrace & Fluvial deposits	Alluvium, clay, sands, gravels, pebbles, boulders and cobbles
Lower Pleistocene to Middle Miocene	Siwalik Group	Clay, siltstones, sandstones, and boulder beds
Oligocene to Lower Miocene	Dharamsala/Kasauli Formation (Sabathu Group)	Grey/green sandstones, splintery shale, clay etc.
Permian	Basic Volcanic intrusives	
Proterozoic	Shimla Group	Phyllites, Quartzites, limestone, shale and dolomite
	Shali/Sundernagar/Kullu Formation	Phyllites, Quartzites, dolomite conglomerate and limestone
	Jutogh Group	Quartzites, Schists and phyllites
		Dalhousie/Kullu granites and gneisses

Hard formations, form hilly and mountainous terrain and mainly comprises of igneous and metamorphic rocks, belonging to the Jutogh, Shali/Largi and Shimla group and occupy the major part of the area in the northern, central and eastern part. Granites and gneisses are intruded in the meta-sediments of Shali/Largi and Shimla group. In the western and southern parts sediments comprising of sandstone, shale, siltstone, conglomerate etc of Dharamshala/Sabathu group and Siwalik group of Tertiary age are observed. Alluvium, terrace deposits, fluvial deposits of Quaternary period occur in the intermontane valleys, viz., Balh valley, Sarkaghat valley etc., and constitute an important unit from ground water point of view.

Hydrogeologically, the district is divided into two distinct and well defined units viz. porous formations constituted by unconsolidated sediments and the fissured formations or hard rock formation constituted mainly by semi-consolidated to consolidated rocks.

The fissured formations include the semi-consolidated to consolidated (hard) rocks exposed in the district and are of sedimentary, metamorphic and igneous origin. These form low and high hill ranges throughout the district. Fractured and jointed sandstone, siltstone forms low potential aquifers in the area. In general, weathered and fractured hard rocks are favorable for groundwater aquifer. Fracture zones and contact zones form the important aquifers in the topographic low areas, with poor to moderate yields. These fracture or fault zones form potential ground water zones. Ground water in these hilly areas oozes in the form of seepages, springs and utilized for domestic and other uses. At places, shallow boreholes fitted with hand pumps have been constructed to develop ground water. The yield of the bore wells constructed along the fault/fracture/contact zones varies from less than 1


to 30 m² hour Weathered mantle in low topographic areas, also form poor aquifers Bowris are constructed in oozing out spring/seepage zones for collecting water to fulfill the domestic water needs.



Executive Engineer
Herchowk
HPPWD Nerchowk

The unconsolidated sediments comprising fluvial, channel deposits, valley fills and terrace deposits and alluvial fan constitute the porous aquifers in the district. These sediments consist of sand, gravels, cobbles, pebbles and boulders interlayered with clay valley and isolated small pockets in the district, these unconsolidated sediments forming aquifer are observed. In Balh valley, ground water occurs under phreatic to confined conditions. Dug wells form major source of water for domestic and irrigation water supply The depth of the wells ranges from 8 m to 26 m bgl, where depth to water level ranges from near surface 0.86m bgl to 9.92m bgl. In low plains, water levels are shallow and less than 5m and become deeper in terraces and fringe areas. Large number of tube wells, ranging in depth from 38.25 m to 140.98m have been drilled/constructed by tapping granular horizons, where water level ranges from artesian/free flow to about 19.35m bgl. The yield of the wells ranges from 15 to 999.24 Ipm for economic drawdown. Free flowing conditions are observed in low-lying areas of Suketi khad in southwestern part of Balh valley.

In Balh valley. CGWB monitors 9 hydrograph stations for groundwater regime monitoring under its National Network. The water levels are monitored four times and ground water quality once during pre-monsoon period every year. During the pre-monsoon (May 2012), depth to water level ranged between 0.86 to 9.92 mbgl. Similarly, during the post-monsoon (November 2012), depth to water level ranged between 0.37 to 5.83m bgl. Depth to water level map of pre-monsoon 2012, is given in Figure - 4.



4.2 Ground Water Resources

Rainfall is the major source of groundwater recharge, apart from the influent seepage from the rivers, irrigated fields and inflow from upland areas, whereas discharge from ground water mainly takes place through wells and tube wells; effluent seepages of ground water in the form of springs and base flow in streams etc.

Ground water resources and irrigation potential for Bath valley in Mandi district have been computed as per the GEC-97 methodology. The resources for the year 2011, are as follows:

1.	Area (Balh valley) considered for GW Assessment	9500Ha.
2.	Net Ground Water Available	5942.33 ham
3.	Annual Ground Water Draft	912.77 ham
4.	Stage of Ground Water Development	15.36%


The stage of ground water development in Balh valley in Mandi district is 15.36% and falls under "Safe" category. There is thus, a scope for further ground water development.

4.3 Ground Water Quality

CGWB monitors the ground water quality of shallow aquifers through 9 National Hydrograph Stations, located mostly in Balh valley and southernmost extension of Kullu valley falling in district Mandi. As per ground water samples collected in May 2012, the range of chemical parameters in Balh valley is summarized below.

S No	Paraz	neters	Ré	ange
			Min	Max
1.	pH	4	7.38	7.89
2.	EC	uS/cm	180	1320
3.	HCO_3	(mg/l)	67	214
4.	CL	(mg/l)	4	255
5.	NO_3	(mg/l)	0.90	98
6.	F	(mg/l)	0.00	0.30

7.	Ca	(mg/l)	14	66
8.	Mg	(mg/l)	6	54
9.	Na	(mg/l)	11	102
10.	K	(mg/l)	2.20	16
11.	TH as CaCO ₃	(mg/l)	108	792



Nerchowk Division
HPPWD Nerchowk

Scope of Work:

1. Preparation Soil Conservation Plan:

- Proper mitigate measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared.
- Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.
- Study of construction of check dam, retention/Breast walls to arrest sliding down of the
- · excavated material along the contour.
- Additional measures to avoid the soil Erosion.

1.2 Location of the Project:

The Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division H.P. Comprising total area of 2.2876 Hectare of Forest Land has been Proposed by Himachal Pradesh Public Works Department, Nerchowk Division. The Location of the project is The area is covered in the Survey of India ToposheetNo.53A/14 (R.F. 1:50,000))and is bound by

Latitude: Longitude:

Sr. No	Latitude	Longitude
1.	31° 34′ 55.437″ N	76° 53' 23.036" E
2.	31° 34′ 58.643″ N	76° 53′ 20.850″ E
3.	31° 34′ 57.673″ N	76° 53′ 10.092″ E
4.	31° 35' 0.685" N	76° 53′ 3.409″ E
5.	31 ° 35' 12.588" N	$76^{\rm o}$ 52' 56.845" E
6.	31° 35′ 1.254″ N	76° 51' 17.904" E
7	31° 35′ 30.581″ N	76° 50' 50.840" E
8	31 ° 35′ 12.588″ N	76° 52' 56.845" E
9	31° 34′ 54.209″ N	76° 50′ 54.217″ E
10	31° 35′ 14.498″ N	76° 50′ 56.898″ E
10	31° 35′ 18.395″ N	76° 50' 58.893" E

1.3 Location of Study Area:

INTRODUCTIOIN TO DIVISION/RANGEWISE LOCATION SPECIFIC SMC PLAN:

It is important that a "SOIL AND MOISTURE CONSERVATION PLAN "should provide site specific prescription be the activities to be undertaken under each heading of the SMC Plan components.

Objective of Study

- 1. The broad objectives for preparation of Soil and Moisture Conservation are outlined as under;
- 2. Checking soil erosion and land degradation by taking up adequate and effective soil conservation measures, both engineering as well as biological, in erosion prone areas (mainly under very severe and severe erosion intensity categories)
- 3.ii) Rehabilitation of degraded forest areas through afforestation and facilitation natural regeneration 3
- 4.ii) Rehabilitation of degraded slopes and landslide areas.
- 5. "SOIL AND MOISTURE CONSERVATION PLAN" is the optimal use of Soil and water resources within a given geographical area so as to enable sustainable production. It implies changes in land use, vegetative cover, and other structural and non-structural action that are taken in SMC. The overall objectives of "SOIL AND MOISTURE CONSERVATION PLAN" are to:
 - a. increase infiltration into soil
 - b. Control excessive run off
 - c. Manage & utilize run off for useful purpose
 - d. Shrub Plantation-
 - e. Grazing and Development: -
 - f. Grazing land development can be undertaken for treatment under silvo-pastoral model. Areas should be closed and staggered trenching should be dug over the area to be treated. Trenches should be dug per hectare. Improved variety of grass should be sown on the berm of the tranches. In the space between the reaches, fodder tree species should be raised. Suggested species for grazing land development are and rpogons quarrosus (Khas-Khas), apluda mutica, arthraxon prionodes, Brachiaria mutica, Cenchrus ciliaris, Cenchrusciliarischlorisgayana (Rhodes grass) Cymdondactylon Desmostachya bipinnata, Digitaria decumbens (Pagnola grass) etc.

Engineering measures: -


i) Moisture Retention measures.

ii) Drainage Line Treatment Stabilization of landslide/landslips Slope.

Nerethowk Ivision HPPWD Nerchowk The slope has a great influence on the soil and water loss from the area and thereby influences the land use capability. The slope determines the erosion susceptibility of the soil depending on its nature. This helps in classifying various lands in suitable capability classes which enables us to formulate suitable conservation measures for the prevention of soil erosion. The degree slope was divided into different slops classes as per rat and Land Use Survey of India (SLUSI) The areas falling under various standard slope categories in the catchment area have been tabulated below in Table The slope map is enclosed in Figure. As seen from the table and map, maximum of the slope falls under 2.4660 to 622 mtr slope range The degree of slope is explained in the below mention map.

iii)

SLOPE MAP



1.4 Need for Soil Conservation Plan:

Soil Conservation Plan is normally applicable for Hydroelectric and Irrigation Projects where impounding of water is proposed by construction of Barrage, Dam etc. This project is Road Project and the part of project falling Under Bahtiyat Range does not fall near to any major river.

1.5 Objective of SC Plan:

The objective of SC Plan is to rejuvenate various potential and degraded ecosystems in the Mine area. The opencast Road activities disturb large tracts of land and produced greatly increased down stream sediment load.

The objective of this report is to present the outline of Road surface erosion problem, method of modeling sediment yield, measures to be taken for reducing or controlling sediment discharges. The action plans is to be prepared for this purpose with the following objectives.

- Conservation of soil cover and to arrest the soil erosion, flood and siltation of the Project area and its tributaries if any.
- Soil conservation through biological & engineering measures to reduce sediment load in river and tributaries, thus improving quality of water.
- Increase vegetative cover and water retaining properties.

SOIL CONSERVATIOIN PLAN

Mitigative Measures

Mitigative measures to minimize soil erosion can be undertaken by two plan

- 1) Biological Conservation Plan,
- 2) Engineering Conservation Plan

5.1 Biological Conservation Plan:

5.1.1 Approach Plan

The following biological conservation plan can be adopted to mitigate soil erosion.

- Proper Dumping of Muck Generated. Dumping of soil and clayey material should be done away from the working area that is on farther end of the dump so that formation of weak planes is avoided.
- Afforestation by planting trees will help a lot in improving stability of dumps by preventing erosion.
- Provision of jute mesh for facilitating grass or vegetative growth on slopes,
 Provision of good soil mixed with manure and subsequent irrigation for growth

of grass for anchorage on slopes. Plantation mixed with indigenous and fast growing plant species

- The degraded area can be reclaimed and rehabilitated with local species of plantation in a phased manner,
- Plantation should be carried out on waste dumps;
- · The haulage roads should be flanked by trees on either side; and
- A belt of trees with thick canopy should be created along the mine boundary to intercept dust, gaseous pollutants and noise.

60 COST ESTIMATE

Cost of Mitigative Measures to arrest Soil Erosion & Top Soil Management Plan in respect of both Biological and Engineering plans are as proposed.

Cost estimate for Engineering Plan:

6.1 Total cost of Mitigative Measures for Soil Conservation:

The area of Diversion falling under Mandi & Suket Division, Mandi and Baldwara Range is 2.2876 Hectare of forest land in favour of HPPWD for the constructor of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340), within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division H.P. The area falling under the project is prone to Landslides and the sites to treated is mentioned in the list attached below with various SMC related activities proposed,

Hence as decided by the recent Guidelines of MoEFCC dated 07-06-2022, sum of Rs. 1,75,805/ has been deposited as per the cost of SMC accordingly to the % age of the Forest Land Diverted. The detail of payment is submitted as below.

REFERENCE AND DATA SOURCE

- Government of India Ministry of Water Resources, CENTRAL GROUND WATER BOARD, GROUND WATER INFORMATION BOOKLET, MANDI DISTRICT, HIMACHAL PRADESH.
- · Survey of India.

PAYMENT DETAILS:

vocation 65 to 66 - 20 162004

1		(HPTR-RTG	S/NEFT ADVICE)			
1	TREASURY CODE:-	MDI 16	DDO CODE :- 667		SDO CODE :- 00	
r	DDO/SDO DESCRIPTI	ON :- EXECUTIVE	ENGINEER H.P.PWD., D	IVISION NERCH	OWK.	
	PRE-ASSIG	SNED TOKEN No. :-	23102792	DATED :-	20.11.2024	
٠.	To be directly credited to following accounts:-		times		Total Amount:-	4401506
Sr. No	Name of Department	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount in (Rs.)
1	Himachal Pradesh CAMPA	MP66710396	UBIN0996335	UBIN	150706142526933	4386748
2	GST	MP66710397	RBISOGSTPMT	RBI	24110200025091	14758
						4401506

Executive Engineer
Neretrowk Division
TOD Was for Chawle

Execute a Linder Nerglevia Linder H.P.P.W.D. Ner Chowk

Executive Engineer Nerchowk, Division, HP.PWD, Nerchowk.

UTR No. RB10462534809210 Defeel : 14/02/2025 Executive Engineer Nerchowk Division HPPWD Nerchowk





NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 20-11-2024

Agency Name.	HPPWD			
Application No.	6142526933			
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/37/2021/FC			
Location.	HIMACHAL PRADESH			
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar ShimlaShimla			
Amount(in Rs)	4386748/-			

Amount in Words :Forty-Three Lakh Eighty-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706142526933 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 20-11-2024

Agency Name.	HPPWD
Application No.	6142526933
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/37/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4386748/-

Amount in Words 'Forty-Three Lakh Eighty-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706142526933 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

UTRNO. No- RB10462534809210 Dated - 14/02/2025,

Sr No	Name of block	Name of beat	Detail of work	Name of area	Unit Phy	Unit	Phy.	Amount	GPS		Re
140	DIOCK	beat	proposed	area				Lat.	Long		
1	Rewalsar	Ratti	Culvert	Tanda	No.	1	250000	31.58443 5°	76.88476 3°		
2	Rewalsar	Ratti	Retaining Wall	Kareri	No.	1	200000	31.58185 5°	76.88842 0°		
3	Rewalsar	Ratti	Retaining Wall	Kawalk ot	No.	1	150000	31.57919 2°	76.85569 9°		
4	Rewalsar	Ratti	breast walls	Kawalk ot	No.	1	105000	31.58223 2°	76.85716 0°		
5	Rewalsar	Ratti	Retaining Wall	Kothi	No.	1	110000	31.58302 8°	76.85193 6°		
6	Rewalsar	Ratti	Culvert	Kothi	No.	1	250000	31.58796 5°	76.84633 8°		

1.Introduction:

The proposed road will connect Tanda, Balt, Kareri, Kawalkot, Kothi, Sidhyani villages /habitation and it will serve approx. 3737 populations. It will connect left out area, which is deprived with road facility. The road is urgently required as people of these villages are facing great hardships to reach the nearby town Ner Chowk. After construction of this road they will connect directly with Medical College Hospital Nerchowk, Market center Ratti and Nerchowk. All three roads maintained above are connecting different area and the left out villages are to be connected by the proposed road. The proposed road will facilitate the moment of people and it will also help to upgrade the living standard of the people of the area. Due to the proposed development, some of the existing trees are to be felled. To offset this impact, compensatory afforestation programme through tree plantation, median plantation, horticulture and landscaping strategy is proposed,

2. OBJECTIVE

The main objectives are as follows:

- Reducing the impacts of air pollution
- Natural noise barrier
- · Arrest of land erosion
- Prevention of vehicle glare from vehicles coming from opposite direction
- Enhancement of aesthetic view of the corridors
- climatic amelioration

Narchowk Division HPPWD Nerchowk Defining of ROW especially at sharp curves during night

Roadside vegetation is any vegetation growing along the roads. Planting trees, shrubs und grasses along the road can create a productive asset and can alleviate the negative effects of roads on the local environment. Negative effects include erosion, loss of fertile soils, gully formation that undermines road foundations, heavy dust, and more. In particular, dust lifted by vehicles, especially along unpaved roads, has a direct effect on the health of people mal livestock living near the roads and on crop production.

3.SPECIES SELECTION

Grasses, shrubs and trees are the main species that are readily available in India. Wherever possible, the use of non-native species should be avoided since they can out compete and displace native ports leading to loss of native biodiversity. To maximize the chances of success of survival of species, selection of species shall be done according to environmental conditions of the project site. Care should also be taken to select species with root systems that match the nature of the soil movement at the project site. Homogenous avenues of trees should be selected for long stretches as it provides aesthetic qualities in the landscaping. One should also consider the economic and other social benefits while selecting the species for plantation. During the selection of species, preference should be given towards rapid growing. pollution tolerant and pest & disease resistant species. Shrub species, which are dwarf and pollution ant, are to be planted in the median to prevent the glare of traffic moving in opposite direction. Flowering, ornamentals plants and climbers can also be planted in urban areas to provide beauty. For this purpose, the species may be decided by interaction with local forest authority and local populace. Few species are recommended in the table below.

Table 1: Species Recommended

Scientific name	Common Name	Quality/Specification
Ailanthus excelsa	Maharukh/Adu Neem	Pollution Sink, Noise Barrier
Alstonia scholuris	Saptaparni	Pollution Sink, Aesthetic Value, Medicinal Value
Azadirachta indica	Neem	Noise barrier, Pollution sink, Economic & Medicinal Value
Bombax ceiba	Semal	Aesthetic Value, Economic Value
Butea monosperma	Dhak	Aesthetic value, Pollution sink
Calistemon viminalis	Bottle Brush	Aesthetic value, Pollution sink
Cassia fistula	Amaltas	Landscaping, Flowering plant, Pollution sink, Medicinal Value

Dulbergia sissoo	Sheesham	Economic Value, Pollution Sink
Ficus bengalensis	Bargad	Noise barrier, Pollution sink, Medicinal Value & Religious value
Ficus religlosa	Peepal	Noise barrier, Pollution sink, Religious values
Mellu uzeduruch	Bakain	Noise Barrier, Pollution Sink, Economic and Medicinal value
Moringa oleiferu	Sahajana	Economic Value, Medicinal value
Pongumia pinnata	Karanj	Economic Value, Medicinal value
Syzygium cumini	Jamun	Pollution sink, Economic Value

4. Plantation Model:

Since the proposed road is new construction to motorable with paved shoulder configuration, and the area being hilly, no avenue plantation has been proposed. But still plantation according to IRC:SP:21-2009 norms on suitable area will be done.

Table 2: Area identified for landscaping & tree plantation

Sr.NO	Type of plantation	Location(Km)	Remarks
1	Shrubs	In median except structures	Ornamental type plantation shall be provided
2	Landscaping	All service areas interchanges O&M centers	Ornamental type plantation shall be provided
3	Plantations	Available open land along Row	About 1100 nos, of trees to be planted preferably indigenous species like Jamun, Neem, Habul, Peepal, Shisham etc.

RECOMMENDATIONS

Due care should be taken to ensure that a greenbelt is developed around the plant. All areas devoid of Vegetation and having low density should be systematically and scientifically afforested. Greenbelt will be a set of rows of trees planted such a way that they form an effective barrier between the plant and the surroundings. The persistence of plantation plan is to contribute to the following factors:

- · To attenuate noise levels generated from the plant.
- To improve the aesthetics of the plant area:
- · To trap the vehicular emissions and fugitive dust emissions;
- · To maintain ecological homeostasis;
- To prevent soil erosion and to protect the natural vegetation;
- · To utilize the treated effluents.

The plantation species should be considered based on the following:

- Adapted to the Geo-climatic conditions of the area;
- Mix of round, spreading, oblong and conical canopies,
- Different heights ranging from 4 m to 20 m.
- Tolerance to specific conditions or alternatively wide adaptability to Eco physiological conditions;
- Rapid growth;
- Capacity to endure water stress and climate extremes after initial establishment;
- Differences in height and growth habits;
- Pleasing appearances;
- Providing shade.

5.Cost Estimate:

Cost of Plantation for different heads including Maintenance

Heads	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	5 th Year	Total Cost (Lakhs)
Cast of Saplings	52212	35266	17862	17862	17862	141064
SMC work Plantation cost	40000	40000	40000	40000	40000	200000
Survey Demarcation &Fencing Tree Guard	34991	34991	34991	34991	34991	174956
Plantation	51571	51571	51571	51571	51571	257855
Misc	13100	13100	13100	13100	13100	65500
Contingency	11257	11257	11257	11257	11257	56285
Total Cost (Lakhs)	203131	186185	168781	168781	168781	895660

Divisional Forest Officer Suker Ferest Division Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Nerchowk Division HPPWD Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र° सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
ix.		एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker Ferest Division Sundarnager (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Subject: -

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
x.	सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष के हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker Ferest Division Sundernager (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश –171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र° सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xi.	आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमित के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suker Forest Division
Sundernager (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Dimeion, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नह लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतर सहमती है।

Divisional Forest Officer
Subscript Perent Division
Sundarnagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xiii.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किर् जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन् राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की
	()	पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer

Suker Frest Division

Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xiv		परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त
	या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernager (H.P.) - 175018

Deputy Constructor of Forests Mandi Forest Education, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject: -

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयान्त्गत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
XV.	कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker Farest Division Sundamagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) HP.PWD. Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र° सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xvi.	द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suker Frest Division
Sundarnager (H.P.) - 175018

Deputy Consequator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha, of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xvii	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की
		पूर्णतया सहमती है।

Suker Threat Division Sundernagar (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Division Nerchowk

HP.PWD. Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश –171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं		मंजूर /नामंजूर
xviii	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें
	जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundornager (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
.xix	एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Porest Officer Suker Farest Division Sundernagar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Date: 27-05-2025

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xx.		यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया
		सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suker Facet Division
Sundernager (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xxi.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer Suker Farest Division Sundarnager (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha, of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेत् प्रस्तृत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xxii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	

Divisional Forest Officer

Suket Ferest Division

Sundamager (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
Xiii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा
		वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय
	समय पर लगाई जा सकती है।	समय पर लगाई जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की
		पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suker Phrest Christon
Sundarnogar (H.P.) - 175018

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD, Nerchowk

Place: Nerchowk

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय :-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की	शर्त	मंजूर /नामंजूर
xiv.	यदि कोई अन्य	सम्बंधित	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/
	अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय	लाग होने हैं	नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना
			्राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें प्रयोक्ता
	की जिम्मेवारी होगी।	ाज्य संस्पार	अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundamogar (J.P.) - 175018

Deputy Consequator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk

Place: Nerchowk

V

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:

Diversion of 2.2876 ha. of forest land in favour of HPPWD for the constructon of Tanda Kohla Tikkari Kothi Sidhkothi via Baba Balaknath Mandir Thapla Dari ka Nal Sidhyai road (Km 0/00 to 11/340, within the jurisdictions of Mandi & Suket Forest Division, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.

महोदय :-

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि भारत सरकार उप कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय , चंडीगढ़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जिरये पत्र क्र॰ सं॰ 8बी /एच .पी. /06/37 /2021/एफ. सी 1/84130/2024 दिनांक 09.10.2024.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र॰ सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
xxv.	अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि होगा व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही आवश्य की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Divisional Forest Officer
Suker Ferest Division
Sundarnager (H.P.) - 175018

Place: Nerchowk

Date: 22-05-2025

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi (H.P.) Executive Engineer, Division Nerchowk HP.PWD. Nerchowk